फाइल नं0-71-3099/129/2021-03

56/2023/1/296063/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 29 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में हृदय रोग संस्थान , कानपुर में सीनियर रेजीडेन्ट आवास हेतु बहुखण्डीय भवन (जी प्लस 8) के निर्माण हेतु 5 प्रतिशत अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एमई/बजट/2022-23/947, दिनॉक 24.03.2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि हृदय रोग संस्थान , कानपुर में सीनियर रेजीडेन्ट आवास हेतु बहुखण्डीय भवन (जी प्लस 8) के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1467.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-05/2020/93/71-3-2020-जी-75/2014टी0सी0-1, दिनॉक 20.01.2020 द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त आकलित लागत रू0 1467.27 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 1393.9065 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान , कानपुर में सीनियर रेजीडेन्ट आवास हेतु बहुखण्डीय भवन (जी प्लस 8) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेतु अनुदान संख्या- 31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-44-24- वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 644.25 लाख में से रू0 73.3635 लाख (रू0 तिहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है किसी अन्य कार्यों/मदो पर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिचित किया आयेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत या और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण संयंत्र के क्रम में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्रावधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई टेण्डर ई-पीक्योरमेन्ट गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यदि प्रायोजना की लागत में कमी आती है तो अवशेष धनराशि राजकीय कोष में प्रधानाचार्य/वित्त अधिकारी द्वारा जमा कराया जायेगा।
9. मेडिकल कालेज अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण हेतु अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 417.00 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने एवं कार्य संतोषजनक होने के उपरान्त ही प्रधानाचार्य द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या-05/2020/93/71-3-2020-जी-75/2014टी0सी0-1, दिनॉक 20.01.2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 73,36,350 (रूपये तिहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इन्स्टीट्यूट मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।